न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 72 / 2022

प्रार्थी — **बनाम** — **विप्रार्थीगण**

प्रार्थी

1. रामाराम पुत्र शेराराम उम्र 57 वर्ष
2. हीराराम पुत्र शेराराम उम्र 39 वर्ष
   जातियान जाट निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. सतीराम पुत्र सालगाराम उम्र 70 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
2. अमृतलाल पुत्र लूम्बाराम उम्र 45 वर्ष
3. गुणेशाराम पुत्र लूम्बाराम उम्र 30 वर्ष
4. चम्पादेवी पत्नि लूम्बाराम उम्र 65 वर्ष जातियान ब्राहम्ण निवासी मनावास तहसील सिणधरी बाड़मेर
5. भीखाराम पुत्र लूम्बाराम उम्र 40 वर्ष
6. देवीलाल पुत्र दुर्गाराम उम्र 45 वर्ष
7. शिवलाल पुत्र दुर्गाराम उम्र 45 वर्ष
8. हरीश पुत्र शिवलाल उम्र 25 वर्ष
9. दिनेश पुत्र शिवलाल उम्र 27 वर्ष
10. घेवरराम पुत्र सगराम उम्र 60 वर्ष जातियान ब्राहम्ण निवासी एवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
11. भीयाराम पुत्र ईशराराम उम्र 58 जाति जाट निवासी महोदवपुरा, कमठाई तहसील सिणण्धरी जिला बाड़मेर
12. राजूराम पुत्र ईशराराम उम्र 58 वर्ष
13. दुर्गाराम पुत्र ईशराराम उम्र 56 वर्ष
14. कंवराराम पुत्र पूनमाराम उम्र 35 वर्ष
15. गेहरोदेवी पत्नि पूनमाराम उम्र 65 वर्ष
16. मगाराम पुत्र लूम्बाराम उम्र 70 वर्ष
17. निम्बाराम पुत्र लूम्बाराम उम्र 72 वर्ष
18. ताजाराम पुत्र भानाराम उम्र 65 वर्ष
19. चुतराराम पुत्र लूम्बाराम उम्र 66 वर्ष जातियान जाट महोदवपुरा, कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
20. [illegible] पुत्र धनाराम उम्र 70 वर्ष
21. [illegible] पत्नि खेताराम उम्र 45 वर्ष
22. [illegible] पुत्र [illegible] उम्र 44 वर्ष
23. [illegible] पुत्र अणदाराम उम्र 60 वर्ष जा[illegible]न जाट निवासी [illegible] मानजी, डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
24. सताराम पुत्र मानाराम उम्र 45 वर्ष
25. मोटाराम पुत्र मानाराम उम्र 40 वर्ष जातियान एवाड़ी भीमजी, कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
26. चिमाराम पुत्र देवाराम उम्र 50 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:21:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

27. जुंजाराम पुत्र मुलाराम उम्र 36 वर्ष
28. रामाराम पुत्र मुलाराम उम्र 33 वर्ष
29. रावताराम पुत्र मुलाराम उम्र 30 वर्ष जाति जाट निवासी महादेवपुरा, कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
30. अणदूदेवी पत्नि गंगाराम उम्र 80 वर्ष
31. विशनाराम पुत्र गंगाराम उम्र 61 वर्ष
32. हरजीराम पुत्र गंगाराम उम्र 59 वर्ष जातियान जाट निवासी एवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
33. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री बीजाराम गोदारा , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 02.11.2022

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा ऐवाडी भीमजी पटवार मण्डल कमठाई खसरा संख्या 148/46 रकबा 16.7706 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 151/46 रकबा 9.6676 हैक्टेयर कुल रकबा 26.4382 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पंक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। बरसात होने पर विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के उपरोक्त खेतों के सेढ़ो को जबरदस्ती तोड़ देते है और प्रार्थीगण की कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि पर काश्त हेतु जुताई को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा मौजा ऐवाडी भीमजी पटवार मण्डल कमठाई खसरा संख्या 148/46 रकबा 16.7706 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 151/46 रकबा 9.6676 हैक्टेयर कुल रकबा 26.4382 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:21:11 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत मौजा मौजा ऐवाडी भीमजी पटवार मण्डल कमठाई खसरा संख्या 148/46 रकबा 16.7706 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 151/46 रकबा 9.6676 हैक्टेयर कुल रकबा 26.4382 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। बरसात होने पर विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के उपरोक्त खेतों के सेढ़ो को जबरदस्ती तोड़ देते है और प्रार्थीगण की कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि पर काश्त हेतु जुताई को जेकर विवा बना रहता है।इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा मौजा ऐवाडी भीमजी पटवार मण्डल कमठाई खसरा संख्या 148/46 रकबा 16.7706 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 151/46 रकबा 9.6676 हैक्टेयर कुल रकबा 26.4382 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा मौजा ऐवाडी भीमजी पटवार मण्डल कमठाई खसरा संख्या 148/46 रकबा 16.7706 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 151/46 रकबा 9.6676 हैक्टेयर कुल रकबा 26.4382 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डेड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ऐवाडी भीमजी पटवार मण्डल कमठाई खसरा संख्या 148/46 रकबा 16.7706 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 151/46 रकबा 9.6676 हैक्टेयर कुल रकबा 26.4382 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर [illegible] किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के [illegible] करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस [illegible] मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:21:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 02-11-2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी